इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन,
कानपुर रोड, लखनऊ 226023

वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स एकेडमी के मुख्य द्वार पर 24X7 सुरक्षा हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं विश्वसनीय सुरक्षा एजेन्सियों से निविदाएं दिनांक 26.03.2025 तक आमंत्रित की जाती हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की शर्ते एवं निविदा प्रपत्र का प्रारूप इण्डिया लिटरेसी बोर्ड की वेबसाइट www.indialiteracyboard.org पर उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में ₹200/- नकद भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त किसी जा सकता है।

(सन्ध्या तिवारी)
निदेशक

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड
साक्षरता निकेतन, लखनऊ

निविदा-प्रपत्र

कार्य का विवरण : इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी में सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराना

निदेशक
इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन
पोस्ट-मानस नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226023
फोन नं.- 0522-2470268
ई.मेल : directorilblko@gmail.com

मूल्य : 200.00

इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, पोस्ट-मानस नगर, कानपुर रोड, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी के मुख्यद्वार पर सुरक्षा गार्ड की सेवाएँ उपलब्ध कराए जाने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	:....................................
निविदा प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय	:....................................
निविदा खुलने की तारीख एवं समय	:....................................
धरोहर राशि	:....................................
अनुमानित संख्या	:....................................

कार्य का परिक्षेत्र एवं सामान्य अनुदेश

1. सिक्योरिटी गार्ड सेवा प्रदाता संस्था को इण्डिया बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी के मुख्य द्वार पर सुरक्षा प्रदान करने हेतु सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे।
2. संविदा की अवधि 01.04.2025 से 31.03.2026 तक के लिए होगी।
3. इच्छुक सेवा प्रदाता संस्था द्वारा इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के निर्धारित प्रारूप पर मुहरबन्द निविदाएँ दिनांक 26.03.2025 को सायं 03:00 बजे तक निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के कार्यालय में सीलबन्द करके बाक्स में डाली जाएँगी।
4. निविदा के साथ रु0 10,000.00 (रुपए दस हजार मात्र) राष्ट्रीय बैंक की सावधि जमा/डाकघर के एन.एस.सी. जो निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के पक्ष में देय होगा, धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदाएँ मान्य नहीं होंगी। धरोहर धनराशि असफल निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस कर दी जाएँगी।
5. निविदा उसी दिन अपराह्न 03:30 बजे निविदादाताओं/अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में गठित समिति द्वारा खोली जाएँगी।

सेवा प्रदाता संस्थाओं हेतु तकनीकी अर्हता :-

1. सेवा प्रदाता ऐजन्सी/फर्म पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 कार्यालय के अन्तर्गत सुरक्षा एजेन्सी की सेवा उपलबध कराए जाने हेतु पंजीकृत हो।
2. सेवा प्रदाता संस्था कर्मचारी भविष्यनिधि (ई.पी.एफ.) तथा कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट (ई. एस.आई.) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो।
3. सेवा प्रदाता संस्था/फर्म सरकारी/अर्द्धसरकारी/बैंक/पी.एस.यू. के कार्यालयों में वर्तमान में उपरोक्त सेवा उपलबध कराने का कार्य कर रही हो तथा गत तीन वर्षों में उपरोक्त सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का अनुभव हो।

4. सेवा प्रदाता संस्था/फर्म द्वारा विगत तीन वर्षों (निविदा प्राप्त किए जाने की तिथि तक) में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम एक अनुबंध पूरा किया गया हो, जिसकी लागत रु0 5.00 लाख से कम न हो अथवा दो अनुबंध जिसकी लागत रु0 3.00 लाख प्रत्येक से कम न हो।
5. फर्म का सामान्य प्रकार के कार्यों का पिछले तीन वित्तीय वर्षों का क्यूमेलटिव टर्न ओवर रु0 100.00 लाख से कम न हो।
6. फर्म का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी पी.एस.यू. में काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो। इस आशय का एक शपथ-पत्र 10.00 रुपए के स्टाम्प पर देना होगा।

निबन्धन एवं शर्तें :-

1. सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म को 8-8 घण्टे की शिफ्ट के आधार पर 24 घण्टे हेतु सिक्योरिटी गार्ड्स की सेवाएँ उपलब्ध करानी होगी। सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म द्वारा किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की अनुपस्थिति की दशा में उनके स्थान पर अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करनी होगी तथा इसकी सूचना विभाग को तत्काल उपलब्ध करानी होगी।
2. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी द्वारा इंगित निर्दिष्ट स्थान पर सुरक्षा एजेन्सी को सुरक्षा गार्ड की तैनाती करनी होगी।
3. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सुरक्षा गार्डों को चेक करने के साथ-साथ पर्यवेक्षण का अधिकार होगा। इसका सहयोग सुरक्षा एजेन्सी को करना होगा।
4. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी पर निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा गार्डों की ड्यूटी सम्बन्धी जो भी आदेश निर्गत किए जाएँगे, उस पर सुरक्षा एजेन्सी को अपनी सहमति देनी होगी।
5. सुरक्षा एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके गार्डों द्वारा अनुशासन का पालन किया जाए तथा इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के अनुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना होगा।
6. सुरक्षा एजेन्सी को यह सुनिश्चित करना होगा कि :
   - (क) सुरक्षा गार्ड 20 से 40 आयु वर्ग के होंगे।
   - (ख) सुरक्षा गार्ड की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-10 पास होगी।
   - (ग) पुरुष सुरक्षा गार्ड की ऊँचाई न्यूनतम 5 फीट 8 इंच तथा महिला सुरक्षा गार्ड की ऊँचाई न्यूनतम 5 फीट 4 इंच होगी।
   - (घ) सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित, विश्वसनीय, सक्षम तथा चिकित्सीय एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
   - (ङ) सुरक्षा गार्ड साधारण अंग्रेजी, हिन्दी पढ़ने/लिखने में सक्षम हों।
7. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी की चल-अचल सम्पत्ति व संस्था की अन्य सम्पत्तियों के साथ परिसर के अन्दर सुरक्षा एवं संरक्षा का दायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा। यदि सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी के समय लापरवाही किए गए कार्य से बोर्ड की किसी Assets या सम्पत्तियों को नुकसान पहुँचता है तो उसकी भरपाई सुरक्षा एजेन्सी को करनी होगी।

8. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों की मजदूरी, वेतन या अन्य कोई लाभ या बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी।

9. सुरक्षा एजेन्सी को निम्नानुसार प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगा :-

(a) Minimum wages Act, 1948.
(b) Contributory P.F. and Miscellaneous Provision Act, 1952.
(c) Contributing ESIC Act.
(d) Contract labour (regulation and Abolition Policies), 1970.
(e) Payment wages Act, 1936.
(f) Workman compensation Act 1923 and any other Rules.
(g) Provision of Service Tax/GST.
(h) Any other statutory provision applicable in Law.

10. सुरक्षा एजेन्सी किसी अनुशासनहीन गार्ड को नियोजित नहीं करेगी तथा किसी गार्ड के अनुशासनहीनता की शिकायत मिलने पर ऐसे कर्मी को तत्काल हटाने का उत्तरदायित्व सुरक्षा एजेन्सी का होगा।

11. सिक्योरिटी गाड्र्स की ड्रेस एवं नाम का बैच फर्म/सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

12. सुरक्षा एजेन्सी अपने द्वारा संस्थान को प्रदान की गई सेवाओं के लिए उपकरों, उगाहियों तथा सभी करों, विद्यमान नियमों और वि-नियमों के अनुसार समय-समय पर सम्बन्धित संग्रह प्राधिकारियों को जमा कराने के लिए उत्तरदायी होंगे।

13. सुरक्षा एजेन्सी विधि के अधीन सभी सामविधिक रजिस्टर/अभिलेख रखेंगे। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड अथवा विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इन्हें माँगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

14. सुरक्षा एजेन्सी उपयुक्त विधि के अधीन किसी सामविधिक/करदेयता का अनुरक्षण करने में असफल रहता है। इसके परिणामस्वरूप इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी को कोई नुकसान/देयता, मॉनीटरिंग या अन्यथा का सामना करना पड़े तो इण्डिया लिटरेसी बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह मॉनीटरिंग रूप से हुए नुकसान या देयता की सीमा के बराबर की राशि सुरक्षा एजेन्सी के बिलों या जमा धरोहर धनराशि से अथवा अन्य किसी विधि से स्वयं की प्रतिपूर्ति कर लें।

15. सुरक्षा एजेन्सी ही तैनात सुरक्षा गार्डों के सम्बन्ध में विवादों के समाधान/शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी। इण्डिया लिटरेसी बोर्ड किसी भी प्रकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड ऐसे किसी वित्तीय नुकसान या सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्ड को अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान चोट लगने या किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नियुक्त कोई भी गार्ड संविदा समाप्ति के पश्चात या संविदा के दौरान इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधओं भत्तों और वेतन के न तो हकदार ही होंगे और न ही इसका कोई दावा करेंगे।

18. सुरक्षा एजेन्सी से हुई संविदा के अवसान अथवा अन्यथा की स्थिति में समाप्त होने पर सुरक्षा एजेन्सी द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में नियमित/अन्य रूप से सेवा में किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करेंगे।

19. सुरक्षा एजेन्सी हर समय यह सुनिश्चित करेंगे कि इनके सुरक्षा गार्ड जब तक संस्थान में रहेंगे, तब तक अनुशासन में अच्छा एवं नियमित व्यवहार करेंगे। इसके विपरीत यदि सुरक्षा एजेन्सी का कोई गार्ड किसी अनुशासनहीनता या दुर्व्यवहार या नारेबाजी या किसी हिंसक क्रियाओं में लिप्त पाया जाता है या किसी दूसरे कर्मचारियों को उकसाता है और उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया यह साबित हो जाता है, तो सुरक्षा एजेन्सी को अपने उस सुरक्षा गार्ड को उसी समय संस्थान से हटाना पड़ेगा। इसके लिए उसे इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के अधिकारी द्वारा लिखित सूचना दी जाएगी, जो सुरक्षा एजेन्सी को प्राप्त करनी होगी।

20. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों का कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने पर उसके स्थान पर अन्य गार्ड की सेवा उपलबध करानी होगी। सिक्योरिटी गाडूर्स द्वारा संस्थान के कार्यालय/परिसर में किसी भी प्रकार की चोरी/क्षति की जाती है तो सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उक्त चोरी/क्षति का मूल्य वहन किया जाएगा।

21. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए गए, सुरक्षा गार्डों के पारिश्रमिक का भुगतान सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व सुनिश्चित करना होगा। सम्बन्धित सुरक्षा गार्डों के पारिश्रमिक आदि का भुगतान सुरक्षा एजेन्सी द्वारा इस आधार पर विलम्ब/रोका नहीं जा सकेगा कि सुरक्षा एजेन्सी का कोई भुगतान इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में लम्बित है।

22. सुरक्षा गार्डों के पारिश्रमिक का नियमानुसार भुगतान एकाउन्ट पेई चेक/आर.टी.जी.एस. /एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से प्रतिमाह सुरक्षा गार्डों के खाते में एकमुश्त सीधे सुरक्षा प्रदाता द्वारा किया जाएगा, एवं भुगतान विवरण आगामी माह के बिल के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

23. सुरक्षा एजेन्सी द्वारा संस्थान में तैनात किए गए सुरक्षा गार्डों के सेवा सम्बन्धी बिल विधिवत रूप से सत्यापित उपस्थिति प्रपत्र सहित इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा तथा कर्मियों के विगत माह में किए गए पारिश्रमिक का भुगतान, ई.पी.एफ., ई.एस. आई. एवं सेवा कर आदि के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखी साक्ष्य प्रश्नगत बिल के साथ प्रस्तुत किए जाएँगे। सम्पूर्ण अभिलेखों के साथ प्रस्तुत बिल का भुगतान इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा 7 कार्य दिवस के अन्दर किया जाएगा। उक्त अभिलेख/साक्ष्य प्रस्तुत न करने की दशा में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा बिल की आंशिक धनराशि/समस्त धनराशि रोकी जा सकती है।

24. इण्डिया लिटरसी बोर्ड द्वारा सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सी को अनुबन्धित पारिश्रमिक दर पर भुगतान नियमानुसार स्रोत पर कर आदि की कटौती चेक/आर.टी.जी.एस. द्वारा किया जाएगा।

25. श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन किए जाने तथा अन्य वैधानिक देयताओं (ई.पी.एफ.,ई.एस.आई. एवं सेवाकर) की दरें परिवर्तन होने की दशा में सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उक्त परिवर्तन मजदूरी/दरों के आधार पर ही सुरक्षा गार्डों को भुगतान किया जाएगा। कोई भी अतिरिक्त धनराशि संस्थान द्वारा देय नहीं होगी।

26. अनुबन्ध स्वीकृत होने की दशा में सेवा संविदा का अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसका व्यय सुरक्षा एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।

27. सुरक्षा एजेन्सी को एक वर्ष के लिए अनुबंधित धनराशि का 10 प्रतिशत अग्रिम जमानत धनराशि परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में एफ.डी.आर./एन. एस.सी. के रूप में जो निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के पक्ष में बंधक होगा, जमा करना होगा। यह राशि अनुबंध समाप्ति के समय बिना किसी ब्याज के सुरक्षा एजेन्सी को भुगतान की जाएगी। यदि सुरक्षा एजेन्सी अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उनकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

28. अपंजीकृत, विधिक शर्तों को पूरा न करने वाली, आयकर देनदारी का भुगतान न करने वाली फर्मों तथा अपूर्ण निविदा प्रपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

29. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन शर्तों को पूरा न करने वाले निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

30. सुरक्षा एजेन्सी संविदा को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को इस संविदा के देयताओं और इसके अधिकारों को उप-अनुबंधित करने या इस सम्बन्ध में वचन देने, संविदा किसी और को निर्दिष्ट करें या स्थानान्तरित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने की दशा में अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

31. निविदा जमा करते समय या बाद के चरणों में निविदादाता इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के समक्ष उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणों से बाध्य होगा। यदि किसी भी चरण में उसके द्वारा प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों को असत्य पाया जाता है तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा जो कि संविदा रद्द करने के साथ-साथ उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही का भागी बनाएगा।

32. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह संविदाकार एजेन्सी को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए संविदा को किसी भी समय समाप्त कर देगा।

33. न्यूनतम निविदा दर एक समान होने की स्थिति में इण्डिया लिटरेसी बोर्ड को उनमें से किसी भी एक को सम्पूर्ण कार्य अथवा विभाजित कर स्वीकृति करने का अधिकार निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में निहित होगा एवं सभी को मान्य होगा।

34. निविदा की किसी शर्त को संशोधित करने/वापस लेने तथा किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने, स्वीकार करने एवं कार्य को कई सुरक्षा एजेन्सियों में विभाजित करने का अधिकार निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में निहित होगा तथा किसी भी विवाद की स्थिति में निदेशक, इण्डिया लिटरेसी बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

35. किसी भी विवाद का न्यायक्षेत्र जनपद-लखनऊ होगा।

निविदा प्रपत्र

1. इण्डिया लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, लखनऊ द्वारा संचालित वेल्दी फिशर चिल्ड्रेन्स अकादमी में सुरक्षा सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु।

2. निविदा देने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता का नाम : ....

3. प्रोपराइटर/निदेशक का नाम : ....

4. पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता : ....

....

दूरभाष संख्या ....

फैक्स संख्या ....

ई-मेल का पता ....

5. जमा धरोहर धनराशि का विवरण : धनराशि रु0 10,000.00 डी.डी. सं0 ......

दिनांक .... देय बैंक का ब्यौरा

....

6. संस्था में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक 8 घण्टे एक सुरक्षा गार्ड 24 घण्टे में तीन सुरक्षा गार्ड हेतु दरें :-

क्र0सं0	सुरक्षा गार्ड हेतु प्रशासनिक व्यय सुरक्षा एजेन्सी व्यय आदि समस्त व्यय	कुल धनराशि (प्रतिमाह) रुपये में
		अंको में............................. शब्दों में.............................

7. कार्यालय पुलिस महानिदेशक उ.प्र.
द्वारा निर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या : : ....
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

8. पैन/जी.आई.आर. नं. : ....
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. सेवा कर रजिस्ट्रेशन संख्या : ....
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन संख्या : ....
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

11. ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन संख्या : ....
(अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

12. निविदा देने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता का पिछले 3 वित्तीय वर्षों का टर्न-ओवर (यदि उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग से कागज संलग्न करें)

वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 लाख में)	टिप्पणी, यदि कोई हो
2021-22		
2022-23		
2023-24		

13. निविदा देने वाले सुरक्षा गार्डो सेवा प्रदाता द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के किए गए संविदा/अनुबंधों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें।
(यदि उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग से कागज संलग्न करें)

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय का नाम व पता	सुरक्षा गार्ड सेवा प्रदाता		संविदा/अनुबंध की राशि (रु0 लाख में)	संविदा/अनुबंध की अवधि	
		सुरक्षा गार्ड का प्रकार	संख्या		से	तक

14. निविदा देने वाले सुरक्षा गार्डो सेवा प्रदाता द्वारा वर्तमान में इस प्रकार के किए जा रहे संविदा/अनुबंधों का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें।
(यदि उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है, तो अलग से कागज संलग्न करें)

क्र. सं.	विभाग/कार्यालय का नाम व पता	सुरक्षा गार्ड सेवा प्रदाता		संविदा/अनुबंध की राशि (रु0 लाख में)	संविदा/अनुबंध की अवधि	
		सुरक्षा गार्ड का प्रकार	संख्या			

15. अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो
(यदि अपेक्षित हो तो अलग शीट संलग्न करें)

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :........................

तारीख :...........................

स्थान :...........................

मोहर :...........................

मोबाइल नं. :.....................

घोषणा

1. मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री ....
....
उपर्युक्त सेवा प्रदाता का प्रोपराइटर/निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा को एवं इस संविदा दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।
2. मैंने संविदा की सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और मैं उन्हें मानने का वचन देता हूँ।
3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रदान की गई सूचना/प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक हैं। मुझे/हमें यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि किसी प्रकार भी प्रकार की झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी चरण में हमारी संविदा निरस्त कर दी जाएगी और इसके साथ-साथ उपयुक्त विधि के अन्तर्गत देयता के लिए हम पर मुकदमा चलाया जाएगा।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :..........................

तारीख :............................

स्थान :...........................

मोहर :...........................

मोबाइल नं. :......................